



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 257]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 7 जून 2017—ज्येष्ठ 17, शक 1939

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 जून 2017

क्र. एफ-2-13-2012-इक्सठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 09.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, पूर्व में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-2-13-2012-इक्सठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 9 दिनांक 10 अप्रैल 2013 में संशोधन करते हुए उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.1	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को नवीन पात्रता पर्ची जारी करना.	स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत कर्मचारी.	15 कार्य दिवस.	जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में—जिला आपूर्ति नियंत्रक/जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर शेष नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में— अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	21 कार्य दिवस.	कलेक्टर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.2	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत पात्र परिवारों को डुप्लीकेट पात्रता पर्ची जारी करना.	स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत कर्मचारी.	15 कार्य दिवस.	जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में—जिला आपूर्ति नियंत्रक/जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर शेष नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में— अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	21 कार्य दिवस.	कलेक्टर
9.3	सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान से खाद्यान्न, शब्दकर एवं केरेसिन प्राप्त नहीं होने पर उसे पात्रतानुसार दिलवाया जाना.	सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी.	15 कार्य दिवस.	जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में—जिला आपूर्ति नियंत्रक/जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर शेष नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में— अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	21 कार्य दिवस.	कलेक्टर
9.4	पात्रता पर्ची में नाम सुधार.	स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत कर्मचारी.	15 कार्य दिवस.	जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में—जिला आपूर्ति नियंत्रक/जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर शेष नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में— अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	21 कार्य दिवस.	कलेक्टर
9.5	पात्रता पर्ची में नाम जोड़ना.	स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत कर्मचारी.	15 कार्य दिवस.	जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में—जिला आपूर्ति नियंत्रक/जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर शेष नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में— अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	21 कार्य दिवस.	कलेक्टर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.6	पात्रता पर्ची से सदस्यों के नाम काटना.	स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत कर्मचारी.	15 कार्य दिवस.	जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में—जिला आपूर्ति नियंत्रक/जिला आपूर्ति अधिकारी जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर शेष नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में— अनुविभागीय अधिकारी राजस्व.	21 कार्य दिवस.	कलेक्टर
9.7	पात्रता पर्ची में पता परिवर्तन.	स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत कर्मचारी.	15 कार्य दिवस.	जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में—जिला आपूर्ति नियंत्रक/जिला आपूर्ति अधिकारी जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर शेष नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में— अनुविभागीय अधिकारी राजस्व.	21 कार्य दिवस.	कलेक्टर
9.8	पात्रता पर्ची का स्थानांतर (म. प्र.) के अंदर).	स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत कर्मचारी.	15 कार्य दिवस.	जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में—जिला आपूर्ति नियंत्रक/जिला आपूर्ति अधिकारी जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर शेष नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में— अनुविभागीय अधिकारी राजस्व.	21 कार्य दिवस.	कलेक्टर
9.9	कृषि गोदाम नवीन लाइसेंस जारी करना.	अतिरिक्त/संयुक्त संचालक, खाद्य.	15 कार्य दिवस.	आयुक्त, खाद्य	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, खाद्य.
9.10	कृषि गोदाम हेतु लाइसेंस जारी का नवीनीकरण करना.	अतिरिक्त/संयुक्त संचालक, खाद्य.	15 कार्य दिवस.	आयुक्त, खाद्य	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, खाद्य.
9.11	पेट्रोल डीजल विक्रय एवं भण्डारण हेतु नवीन अनुज्ञाप्ति जारी करना.	कलेक्टर	15 कार्य दिवस.	आयुक्त, खाद्य	30 कार्य दिवस.	आयुक्त, खाद्य.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.12	पेट्रोल डीजल विक्रय एवं भण्डारण हेतु नवीन अनुज्ञाप्ति नवीनीकरण.	जिला आपूर्ति नियंत्रक/अधिकारी.	15 कार्य दिवस.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	संभागीय आयुक्त.

क्र. एफ 2-13-2012-इक्सठ-लोसे प्र-पी.एस.जी. 15.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाइ जाने वाली नवीन सेवाएं, पदाधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत परिवहन विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.12	डुप्लीकेट वाहन पंजीयन कार्ड.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी (आरटीओ/डीटीओ).	07 कार्य दिवस.	कलेक्टर	07 कार्य दिवस.	संभागायुक्त
15.13	वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी (आरटीओ/डीटीओ).	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	संभागायुक्त
15.14	मृत्यु के बाद स्वामित्व का हस्तांतरण (परिवार के अंदर).	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी (आरटीओ/डीटीओ).	15 कार्य दिवस.	कलेक्टर	15 कार्य दिवस.	संभागायुक्त
15.15	स्वामित्व का हस्तांतरण के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी (आरटीओ/डीटीओ).	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	संभागायुक्त
15.16	पते में परिवर्तन के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी (आरटीओ/डीटीओ).	07 कार्य दिवस.	कलेक्टर	07 कार्य दिवस.	संभागायुक्त

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.17 वाहनों पंजीयन का नवीनीकरण.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी (आरटीओ/डीटीओ).	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी (आरटीओ/डीटीओ).	15 कार्य दिवस.	कलेक्टर	15 कार्य दिवस.	संभागायुक्त

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेर-पी.एस.जी. 24.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएं पदाधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएँ	पदाधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24.5	मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन का परीक्षण कर पूर्ण/अपूर्ण की जानकारी आवेदक को प्रदान करना.	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र.	15 कार्य दिवस.	परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी (संबंधित परिक्षेत्र).	15 कार्य दिवस.	उद्योग आयुक्त
24.6	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना—प्राप्त आवेदन का परीक्षण कर पूर्ण/अपूर्ण की जानकारी आवेदक को प्रदान करना.	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र.	15 कार्य दिवस.	परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी (संबंधित परिक्षेत्र).	15 कार्य दिवस.	उद्योग आयुक्त
	पूर्ण आवेदन को सक्षम समिति से निर्णीत करना.	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र.	30 कार्य दिवस.	परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी (संबंधित परिक्षेत्र).	30 कार्य दिवस.	उद्योग आयुक्त

क्र. एफ 2-13-2012-इक्सठ-लोसेर-पी.एस.जी. 34.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत नाप-तौल विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएं पदभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत
नाप-तौल विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएँ (2)	पदभिहित अधिकारी का पदनाम (3)	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा (4)	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम (5)	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा (6)	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम (7)
34.1	नाप-तौल उपकरणों का मूल मुद्रांकन (क) ऐसे नाप-तौल उपकरण जो नाप-तौल कार्यालय या शिविर में लाये जाते हैं। (ख) नाप-तौल उपकरण जो अपने स्थान से हटाये नहीं जा सकते या हटाये नहीं जाना चाहिए.	निरीक्षक नाप-तौल	7 कार्य दिवस.	उप/सहायक नाप तौल.	नियंत्रण नाप तौल.	नियंत्रक नाप तौल.
34.2	पेट्रोल, डीजल पंप का मूल मुद्रांकन.	निरीक्षक नाप-तौल	15 कार्य दिवस.	उप/सहायक नाप तौल.	नियंत्रण नाप तौल.	नियंत्रक नाप तौल.
34.3	फ्लो (प्रवाह) मीटर का/मूल मुद्रांकन.	निरीक्षक नाप-तौल	15 कार्य दिवस.	उप/सहायक नाप तौल.	नियंत्रण नाप तौल.	नियंत्रक नाप तौल.
34.4	ऑटो रिक्षा/टैक्सी मीटर का मूल मुद्रांकन.	निरीक्षक नाप-तौल	7 कार्य दिवस.	उप/सहायक नाप तौल.	नियंत्रण नाप तौल.	नियंत्रक नाप तौल.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34.5 सी. एन. जी./ एल. पी. जी. डिस्पेंसर/पंप का मूल मुद्रांकन.	निरीक्षक नाप-तौल	15 कार्य दिवस.	उप/सहायक नाप तौल	नियंत्रण नाप तौल	21 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप तौल.
34.6 स्टोरेज टैंक का मूल मुद्रांकन.	निरीक्षक नाप-तौल	15 कार्य दिवस.	उप/सहायक नाप तौल	नियंत्रण नाप तौल	21 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप तौल.
34.7 नाप-तौल उपकरणों का पुनर्संत्यापन (क) ऐसे नाप-तौल उपकरण जो नाप-तौल कार्यालय या शिविर में लाये जाते हैं।	निरीक्षक नाप-तौल	7 कार्य दिवस.	उप/सहायक नाप तौल.	नियंत्रण नाप तौल.	21 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप तौल.
(ख) नाप- तौल उपकरण जो अपने स्थान से हटाये नहीं जा सकते या हटाये नहीं जाना चाहिए.	निरीक्षक नाप-तौल	15 कार्य दिवस.	उप/सहायक नाप तौल.	नियंत्रण नाप तौल.	21 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप तौल.
34.8 पेट्रोल, डीजल पंप का पुनः संत्यापन करना.	निरीक्षक नाप-तौल	15 कार्य दिवस.	उप/सहायक नाप तौल.	नियंत्रण नाप तौल.	21 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप तौल.
34.9 फ्लो (प्रवाह) मीटर का पुनः संत्यापन करना.	निरीक्षक नाप-तौल	15 कार्य दिवस.	उप/सहायक नाप तौल.	नियंत्रण नाप तौल.	21 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप तौल.
34.10 ऑटो रिक्षा/ टेक्सी मीटर का पुनः संत्यापन करना.	निरीक्षक नाप-तौल	15 कार्य दिवस.	उप/सहायक नाप तौल.	नियंत्रण नाप तौल.	21 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप तौल.
34.11 सी. एन. जी./ एल. पी. जी. डिस्पेंसर/पंप का पुनः संत्यापन करना.	निरीक्षक नाप-तौल	15 कार्य दिवस.	उप/सहायक नाप तौल.	नियंत्रण नाप तौल.	21 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप तौल.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34.12 स्टोरेज टैक्स का पुनः सत्यापन करना.	निरीक्षक नाप-तौल	15 कार्य दिवस.	उप/सहायक नाप तौल	नियंत्रण	21 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप तौल.

क्र. एफ 2-13-2012-इक्सठ-लोसे प्र-पी.एस.जी. 35.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा सहकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं पदाधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत सहकारिता विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं (2)	पदाधिकारी का पदनाम (3)	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा (4)	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम (5)	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा (6)	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम (7)
(1)						

35.1 किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान साख पत्र जारी करना.	प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के संस्था प्रबंधक.	30 कार्य दिवस.	जिले के उप/सहायक आयुक्त सहकारिता.	30 कार्य दिवस.	संभागों के संयुक्त आयुक्त सहकारिता.
35.2 किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान साख पत्र नवीनीकरण.	प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के संस्था प्रबंधक.	30 कार्य दिवस.	जिले के उप/सहायक आयुक्त सहकारिता.	30 कार्य दिवस.	संभागों के संयुक्त आयुक्त सहकारिता.

क्र. एफ 2-13-2012-इक्सठ-लोसे प्र-पी.एस.जी. 36.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के अन्तर्गत कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं पदाधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के अन्तर्गत कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं (2)	पदाधिकारी का पदनाम (3)	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा (4)	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम (5)	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा (6)	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम (7)
(1)						
36.1 मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण	असि. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल (भोपाल नर्मदापुरम	20 कार्य दिवस.	डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स ^{एवं} संस्थाएं, मध्यप्रदेश.	30 कार्य दिवस.	रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार समिति, युवामंडल, महिला मंडल आदि स्वयंसेवी संस्थाओं के पंजीयन संबंधी सेवा (धारा 7).	राजस्व संभाग) इंदौर (इंदौर राजस्व संभाग) रीवा (रीवा एवं शहडोल राजस्व संभाग) जबलपुर (जबलपुर राजस्व संभाग) एवं ग्वालियर (ग्वालियर एवं चंबल राजस्व संभाग).				
36.2	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत नियमावली में संशोधन संबंधी सेवा (धारा 10 एवं 13).	असि. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाए, भोपाल (भोपाल नर्मदापुरम राजस्व संभाग) इंदौर (इंदौर राजस्व संभाग) रीवा (रीवा एवं शहडोल राजस्व संभाग) जबलपुर (जबलपुर राजस्व संभाग) एवं ग्वालियर (ग्वालियर एवं चंबल राजस्व संभाग).	20 कार्य दिवस.	डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाए, मध्यप्रदेश.	30 कार्य दिवस.	रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाए, मध्यप्रदेश.
36.3	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन भागीदारी फर्म के पंजीयन संबंधी सेवा (धारा 59).	असि. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाए, भोपाल (भोपाल नर्मदापुरम राजस्व संभाग) इंदौर (इंदौर राजस्व संभाग) रीवा (रीवा एवं शहडोल राजस्व संभाग) जबलपुर (जबलपुर राजस्व संभाग) एवं ग्वालियर (ग्वालियर एवं चंबल राजस्व संभाग).	20 कार्य दिवस.	डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाए, मध्यप्रदेश.	30 कार्य दिवस.	रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाए, मध्यप्रदेश.

क्र. एफ 2-13-2012-इक्सठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 37.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा बाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत म. प्र. ट्रायफेक द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं पदाधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत
म. प्र. ट्रॉयफेक की सेवाएं**

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
37.1	औद्योगिक इकाइयों के लिये जल का आवंटन.	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस.	महाप्रबंधक, एकेब्हीएन	10 कार्य दिवस.	अध्यक्ष एकेब्हीएन.

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसे प्र-पी.एस.जी. 38.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एटद्वारा वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत म. प्र. संचालक, वाष्ययंत्र, द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं पदाधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत
म. प्र. संचालक वाष्ययंत्र की सेवाएं**

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
38.1	बायलर अधिनियम 1923 की धारा 7 के अंतर्गत बायलर का पंजीयन.	निरीक्षक बायलर ग्रेड 2/ग्रेड प्रथम/उप संचालक बायलर (संचालक बायलर द्वारा कार्यक्षेत्र आवंटन के अंतर्गत नामित अधिकारी).	30 कार्य दिवस.	निरीक्षक बायलर ग्रेड-प्रथम/उप संचालक बायलर.	20 कार्य दिवस.	संचालक बायलर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिंजन राव, सचिव.